संख्या:-32/2022/बी-2-328/दस-2022-10/77टी.सी.

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 14 दिसम्बर, 2022

विषय: योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य के परीक्षण हेतु गठित "व्यय वित्त समिति" में सीवरेज एवं जल निकासी के कार्यों हेतु तकनीकी परामर्श के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि योजनाओं/परियोजनाओं के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित व्यय वित्त समिति की बैठकों में परियोजनाओं के प्रस्तावों में सीवरेज तथा जल निकासी से संबंधित कार्यों के विशेषज्ञ न होने से इन कार्यों से संबंधित औचित्य का समुचित अप्रेजल एवं सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता है।

2- अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं, जिनमें सीवरेज एवं जल निकासी के कार्य भी सम्मिलित हों, के प्रस्तावों के अप्रेजल एवं परीक्षण हेतु वित्त व्यय समिति की बैठकों में प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) को, तकनीकी परामर्श हेतु आमंत्रित किया जायेगा ।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त ।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 32/2022/बी-2-328(1)/दस-2022-10/77टी.सी., तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
8 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय)।
11 निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।